रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1971] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
No. 1971] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2494 (अ).——यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1521(अ), दिनांक 24.06.2010 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 के 7.430 किलोमीटर से 130.100 किलोमीटर (कानपुर–कबरई सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स पीएनसी कानपुर हाइवेज लिमिटेड जो 21.06.2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है और जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–5/7, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057, दिल्ली (भारत) में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विकास परियाजना–IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राजमार्ग संख्या 86 पर विद्यमान 7.430 कि.मी. से 130.100 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 123.860 कि.मी.) तक कानपुर कबरई सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित कहा गया है) का पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 11.03.2011 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाषित किए गये थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 123.863 कि.मी. के लिए पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के खण्ड के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% पर उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत

और संग्रहीत किया जाएगा, तथा उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कानपुर जिले में गांव अलियापुर के पास 43.500 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 50.170 कि.मी. पर)	59.620	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
महोबा जिले में खन्ना गांव के पास 105.500 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 111.745 कि.मी. पर)	64.243	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पचीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

2. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा को पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग था तब तक प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाऐगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया गया हो। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए नियमों के अंतर्गत उस श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू दर से दस गुना शुल्क टोल संग्रहण एजेंसी को अदा करने का उत्तरदायी होगा।

5. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

IndiaCode

7. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायंगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार लिए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/638/सीओ/11–12/जीसी कानपुर (कानपुर–कबरई)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O. 2494 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1521 (E) dated 24.06.2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 7.430 to kilometer 130.100 (Kanpur-Kabrai section) of National Highway No. 86 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 11.03.2011 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s. PNC Kanpur Highways Limited having its registered office at D-5/7, Vasant Vihar, New Delhi-110057, Delhi (India) (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 21.06.2010 for the development of Kanpur-Kabrai section from existing km. 7.430 to kilometer 130.100 (design chainage km 0.000 to km. 123.860) on National Highway No. 86 (hereinafter referred to as the "said section") to two lane standards with paved shoulders and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis under NHDP-IV;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E), dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at 60% of the rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section of 123.863 km length for use of two lane with paved shoulders section (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table-1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 43.500 (existing chainage at km 50.170) near village Aliyapur in Dist. Kanpur	59.620	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 105.500 (existing chainage at km 111.745) near village Khanna in Dist. Mahoba	64.243	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

1. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

2. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

3. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

4. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

5. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

6. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided, however, that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/ 13013/ 638/ CO/ 11-12/ GC Kanpur (Kanpur-Kabrai)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

India Code

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.